epaper
हिन्दुस्तान

Share | Copy url | Save | Font Size | D'load Image | Image | Text | Listen

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने वर्षों से अटकी टाउनशिप के प्रस्ताव पर लगाई मुहर

चकराता नई टाउनशिप में 40 गांव शामिल

देहरादून,मुख्य संवाददाता। कैबिनेट ने चकराता में पुरोड़ी-नागथात मार्ग पर यमुना पुल तक नई टाउनशिप विकसित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए, इससे लगते 40 गांवों को मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) में शामिल किया गया है।

उत्तर प्रदेश के समय शुरू हुई थी कवायद: चकराता के पास स्थित पुरोड़ी में न्यू चकराता बसाने की कवायद उत्तर प्रदेश के समय से चली आ रही है। लेकिन सामरिक दृष्टि से अहम होने के कारण चिन्हित गांवों को विकास प्राधिकरण के अधीन शामिल करना संभव नहीं हो पाया था। इस कारण यहां अनियोजित विकास हो रहा था।

सरकार का महत्वपूर्ण कदम : अब कैबिनेट ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाते हुए, चकराता से पुरोड़ी-नागथात और यमुना पुल तक के 40 गांवों को एमडीडीए में शामिल करने का निर्णय ले लिया है। इसमें कुछ गांव चकराता जबकि कुछ गांव कालसी तहसील के शामिल किए गए हैं। दूसरे चरण में एमडीडीए इन क्षेत्रों के लिए विधिवत मास्टरप्लानिंग करते हुए, लैंड यूज तय करेगा। एमडीडीए इसके लिए स्थानीय लोगों से रायशुमारी कर चुका है, जिसमें लोगों ने सकारात्मक राय दी थी।

देहरादून में बुधवार को मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने कैबिनेट में हुए फैसलों की जानकारी दी। • हिन्दुस्तान

1997 में तत्कालीन यूपी सरकार ने नई टाउनशिप बसाने के लिए किया था 450 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण

टाउनशिप में ये गांव किए गए शामिल

ठाणा, ढुंगरा, कुनावा, छटऊ, बिरमऊ, क्यावा, अस्टा, चिराड़, कुस्यो, कचटा, लाक्षा, दुइना, नगऊ, माखटी, सवाई, मसराड़, मल्थी, सिगौर, रामपुर, गड़ौल, बादऊ, मुंथान, लटऊ, जंदेऊ, गांगरो, डाबरा, सिलाई, बिसोई, मुंसीगांव, लोहारना, लोहारी, ठनील, लोरली, खारी, सिगौरा, धिराई, लकस्यार, कनोटा, सावड़ा और लखवाड़।

विकास प्राधिकरणों में आउटसोर्स से तैनात किया जाएगा तकनीकी स्टाफ

2 कैबिनेट ने हाल में बहाल जिलास्तरीय विकास प्राधिकरणों में जरूरी स्टाफ आउटसोर्स से नियुक्त करने का निर्णय लिया है। इसमें अवर अभियंता, सहायक अभियंता, वास्तुविद व सहायक वास्तुविद के कुल 60 पद शामिल हैं। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने बताया, प्राधिकरणों को एक्टिव करने के लिए वहां तकनीकी स्टाफ जरूरी है, इसलिए पद तत्कालिक तौर पर आउटसोर्स के जरिए भरे जाएंगे। पहले यह भर्ती प्राधिकरण स्तर पर होनी थी, पर इसमें तकनीकी दिक्कतों को देखते हुए, अब उडा प्रदेश स्तर पर भर्ती के लिए एक ही एजेंसी का चयन करेगा।

राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल बढ़ा

3 कैबिनेट ने राज्य निर्वाचन आयुक्त का अधिकतम कार्यकाल छह वर्ष और अधिकतम उम्र 68 साल करने का निर्णय लिया है। पहले कार्यकाल पांच साल और अधिकतम उम्र की सीमा 65 साल तय थी। इसके लिए सरकार गत 28 अप्रैल को सेवा नियमावली में बदलाव कर चुकी है। इसके बाद वर्तमान राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल एक साल के लिए बढ़ चुका है।

चिंतन शिविर निर्माण के 75 लाख माफ

4 केदारनाथ में छोटी लिंचोली से रामबाड़ा तक चार स्थानों पर केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय चार चिंतन शिविर का निर्माण कर रहा है। इन कार्यों को लेकर केदारनाथ विकास प्राधिकरण ने 75 लाख की फीस का निर्धारण किया था। केंद्र सरकार ने इस फीस को माफ करने को कहा था। कैबिनेट ने बुधवार को 75 लाख फीस माफ करने के प्रस्ताव पर मुहर लगाई।

जुर्माने के लिए आरसी नहीं काटेगा रेरा

5 कैबिनेट ने रियल एस्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी (रेरा) नियमावली में संशोधन करते हुए, बकायदारों को जुर्माना जमा करने को 45 दिन का समय देने का निर्णय लिया है। पहले ऐसे मामलों में रेरा सीधे राजस्व वसूली के लिए आरसी काट देता था, अब उक्त कार्रवाई 45 दिन की समयसीमा बीतने के बाद ही हो पाएगी।

उच्च न्यायालय के लिए जमीन आवंटित

6 प्रदेश कैबिनेट ने नैनीताल उच्च न्यायालय को हल्द्वानी शिफ्ट करने के लिए, हल्द्वानी के गौलापार में क्रिकेट स्टेडियम से लगी हुई 26.08 हेक्टेयर वन भूमि देने पर सहमति व्यक्त कर दी है। मुख्य सचिव डॉ.एसएस संधु ने बताया कि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहले ही सहमति व्यक्त कर चुका है।

डीपीसी का बजट अप्रैल में जारी होगा

7 धामी सरकार ने वार्षिक बजट मंजूर होते ही, जिला नियोजन समिति का बजट भी मंजूर करने का निर्णय लिया है। मसूरी में हुए चिंतन शिविर में प्रत्येक जिला योजना का बजट पहले 31 दिसंबर तक मंजूर करने का निर्णय लिया गा था। लेकिन व्यावहारिकता को देखते हुए कैबिनेट ने अब इसमें बदलाव करते हुए, विधानसभा से बजट पारित होने के तत्काल बाद कर दिया है।

संग्रह अमीनों को एसीपी का लाभ जारी

8 उत्तराखंड राजस्व संग्रह निरीक्षक नियमावली में भी संशोधन को भी मंजूरी दे दी गई है। अब राजस्व संग्रह अमीनों को एसीपी का लाभ आगे भी मिलता रहेगा। सचिव राजस्व सचिन कुर्वे ने बताया, राजस्व संग्रह अमीनों को जो पूर्व में जो एसीपी का लाभ मिला था, वो अब इस संशोधन के बाद आगे भी मिलता रहेगा। इस संशोधन का लाभ करीब 300 राजस्व संग्रह अमीनों को मिलेगा।